"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 सितम्बर 2017 —— आश्विन 4, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक 2221/आर 1311/22–1/2017. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,–

अनुसूची–तीन में, शीर्षक "1(ब), 2(अ) तथा 3(ब) अलिपिकीय" के अंतर्गत,–

(एक) सरल क्रमांक 5 के कॉलम (5) में, प्रविष्टि "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि" के स्थान पर, प्रविष्टि "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। तथापि, ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) सरल क्रमांक 5 के कॉलम (6) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"मेरिट सूची, प्रतियोगी परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों का 85% अधिभार देते हुये तैयार की जायेगी तथा अतिरिक्त 15 अंक, उन अभ्यर्थियों को दी जायेगी जो ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारित करते हों।"

No. 2221/R.No.1311/22-1/2017 . – In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following furter amendment in the Chhattisgarh Development Commissioner Panchayat and Rural Development, class- III (Ministerial and Non-Ministerial) Services Recruitment Rules , 2011 namely :-

AMENDEMENT

In Schedule of the said rules,-

In Schedule-III, under Heading "1-(B), 2(A) and 3(B) Non-Ministerial,-

(i) in column (5) of serial number 5, for entry "Graduate degree from recognized University", the entry "Graduation from any recognized University. However, preference shall be given to the candidates having Post Graduation Degree/Post Graduation Diploma in Rural Development" shall be substituted; and

(ii) in column (6) of serial number 5, the following shall be inserted, namely :-

Merit list shall be prepared by giving 85% weightage to the marks obtained in the competitive examination and, additional 15 marks shall be given to those candidates having Post Graduation Degree/Post Graduation Diploma in Rural Development."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.